THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

श्री प्रेम गुप्ता : मैडम, क्या हुआ ? ..... **(व्यवधान)**

उपसभापति : अभी बात-चीत चल रही है, उसके बाद जो भी निर्णय होगा यह आपको बता देंगे । ..... **(व्यवधान)** अभी आप बैठिए । अगर आप एलाउ करें तो हम लोग ..... **(व्यवधान)** काम तो जो भी होगा, वह करेंगे । यह तो नहीं कि हम हाउस बंद कर देंगे । सप्लीमेंटरी डिमांड्ज़ ले करनी हैं । अगर आप कहें तो ले कर दें । नहीं तो बजट पर डिसकशन रुक जाएगा । यह मीटिंग तो चल ही रही है । फिर उसके बाद अगर आप कहेंगे तो हम हाउस एडजर्न कर देंगे ।

Supplementary Demands for Grants (General) 2002-03.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 2002-03

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI GINGEE S. RAMACHANDRAN) : Madam, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (General) for the year 2002-2003 (March 2003).

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): मैडम, जो स्थिति है उस पर चर्चा करने के लिए हमने आसंदी से अनुमति चाही है । हम चाहेंगे कि उस पर चर्चा हो, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, बहुत नाज़ुक है और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है।...**(व्यवधान)**... इसलिए मैं सोचता हूं कि कृपापूर्वक आप हमें अनुमति प्रदान करें ताकि हम अपनी बात कह सकें ।

उपसभापति : आपकी बात से मैं सहमत हूं कि देश मे कई जगह परिस्थिति ठीक नही है । आपकी जो चिंता है उससे मैं सहमत हूं । मगर जब तक कोई प्रोसीजर न तय हो जाए कि हाउस में यह डिसकशन किस तरीके से लिया जाएगा तो मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा कि मैं हाउस को एडजर्न कर दूं । ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पचौरी : मैडम, यह तय हो गया था कि आज उत्तर प्रदेश के विषय में चर्चा की जाएगी, लेकिन लिस्ट ऑफ़ बिज़नैस में आज उत्तर प्रदेश नदारद है । इसलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि हमें इजाजत दी जाए कि हम उत्तर प्रदेश की स्थिति पर चर्चा करें ।

उपसभापति : लिस्ट ऑफ़ बिजनैस में नहीं है । अगर लिस्ट में नही है ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पचौरी : इसीलिए हम आपकी अनुमति चाह रहे हैं ।

उपसभापति : हमारी अनुमति तो तब होगी जब जवाब देने के लिए मंत्री जी भी यहां हों ।

The House then adjourned at thirty-two minutes past two of the clock.

The House reassembled at two minute past four of the clock,

THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : मैडम, बिजनेस एडवायजरी कमेटी की बैठक अभी है और हम चाहते हैं कि जो महत्वपूर्ण डिस्कसन होने वाला है,

उपसभापति : आप तो खाली मशविरा देते हैं, हम लोग उसे पहले से सोच लेते हैं । बी0ए0सी0 की मीटिंग डिले हो गयी । तो आप यह कर देंगे, उस के बाद वह हो जाएगी ।

श्री रमा शंकर कौशिक : धन्यवाद ।

श्री सुरेश पचौरी : मैडम, एड्जॉर्न करने के बाद होगी ?

उपसभापति : हां, एडजॉर्न कर देंगे ।

श्री सुरेश पचौरी : मैडम, यू0पी0 का मसला बड़ा महत्वपूर्ण है, एडजॉर्न करने के बाद कर दीजिए ।

उपसभापति : श्री मोती लाल वोरा ।

MATTER RAISED WITH PERMISSION

Recent developments in the Uttar Pradesh Legislative Assembly

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़) : माननीय उपसभापति जी, संविधान के अंतर्गत देश में राज्यों के कार्यों का संचालन हुआ करता है इसलिए किसी भी राज्य में संविधान का पालन होना बहुत आवश्यक होता है । संविधान की प्रक्रियाओं के विपरीत अगर कोई आचरण हो, किसी भी राज्य में आचरण हो तो निश्चित रूप से केन्द्र सरकार का दायित्व होता है कि वह उस में हस्तक्षेप करे अन्यथा देश मे संविधान की जो मान्यता है, उस को आघात पहुंचता है। महोदया, मुझे आप को देश में संविधान की जो मान्यता है, उस के बारे मे विशेष रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है । इस के प्रिफेस में कहा गया है कि

The Constitution of India is the supreme law of our country to secure to all its citizens Justice, Liberty, Equality, Fraternity. This is the most commonly referred legal document as no laws,rules and regulations made in contravention of this provision of the Constitution of India are legally enforceable.

When this is legally enforceable in all the States of the country, I would like to invite your attention to what is happening in a State.जो देश का सब से बड़ा राज्य है, जिस राज्य के बारे मे लोग कहा कहते थे कि पंडित जवाहर लाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश की थीं, राजीव गांधी देश के प्रधान मंत्री, उत्तर प्रदेश के थे - आज उस उत्तर प्रदेश की क्या हालत